न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–131 / 2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम गोविन्द कुमार शर्मा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
24/11/2020 04/12/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–510 / म0नि0को0, दिनांक–21.03.2020 से प्राप्त सदर (भालपट्टी) थाना कांड संख्या–74 / 20 दिनांक 17.02.2020 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AE-9614 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक मे विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण–पृच्छा दिनांक–16.10.2020 को दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर संधारित है। उसके उपरान्त विपक्षी इस वाद की कार्यवाही में अनुपस्थित है। दाखिल कारण–पृच्छा के आधार पर सुनवाई की गई।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती एवं वाहन चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरासाईकिल पर सवार होकर पीठ पर लिए बैग में शराब लेकर छतवन की ओर जा रहा है सूचना के सत्यापन हेतु ग्राम दुलारपुर टोला पहूँचा तो देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल चलाते हुए छतवन कि ओर तेजी से जा रहा था जो एकाएक पुलिस जीप को देखकर गाड़ी छोड़कर भागना चाहा, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। तत्पाश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् उक्त व्यक्ति के पीठ पर लिंये बैग को खेलकर देखा गया तो उक्त बैग से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 180 एम0एल0 का 25 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 6 बोतल अंग्रेजी शराब पाया गया। इस प्रकार कुल 06.750 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन के साथ जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गई। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में अंकित है कि पुलिस द्वारा बिना साक्ष्य के मोटरसाईकिल जब्त कर लिया गया है। उक्त वाहन से काई शराब बरामद नही हुआ है। सत्यबात यह है कि वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस से तकरार हो जाने पर गलत रूप से केस कर दिया गया। मोटरसाईकिल से एक भी बोतल बरामद नहीं हुआ है। वाहन की विमुक्ति हेतु प्रतिभूति आदि देने को तैयार है। अतः वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जब्त वाहन रजि0 सं0– BR07AE-9614 मोटरसाईकिल से मोटरसाईकिल सवार द्वारा अपनी पीठ पर बैग में भर कर 180 एम0एल0 का 25 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 06 बोतल अवैध विदेशी शराब चौर्य व्यापार करने के नियत से परिवहन कर ले जाने के क्रम में पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान विधिवत जब्त किया गया, जिसमें कुल–06.750 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में ठोस साक्ष्य दाखिल

नही किया गया।

विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा कारण–पृच्छा के साथ कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिससे की उनके दावे को बल मिलता हो। जबकि दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष शराब बरामद हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सदर (भालपट्टी) थाना कांड संख्या–74/20 दिनांक 17.02.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AE-9614 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा